



हिमाचल प्रदेश सरकार
GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
DEPARTMENT OF HEALTH & FAMILY WELFARE

No.

प्रपत्र संख्या-6
FORM No.-6

मृत्यु प्रमाण-पत्र
DEATH CERTIFICATE

(जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 12/17 तथा हिमाचल प्रदेश जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम, 2003 के नियम 8 के अन्तर्गत जारी किया गया)

(Issued under Section 12/17 of the Registration of Births and Deaths Act, 1969 and Rule 8 of the Himachal Pradesh Registration of Births and Deaths Rules, 2003)

यह प्रमाणित किया जाता है कि निम्नलिखित सूचना मृत्यु के मूल लेख से ली गई है जो कि (स्थानीय क्षेत्र)..... This is to certify that the following information has been taken from the original record of deaths which is the register for (local area/local body).....

तहसील (Tehsil)..... जिला (District)..... के रजिस्टर में उल्लिखित है।

Registered in the Register..... of State/Union Territory.....

नाम/Name..... लिंग/Sex.....

मृत्यु-तिथि/Date of Death..... मृत्यु-स्थान/Place of Death.....

माता का नाम/Name of Mother.....

पिता का नाम/Name of Father.....

पति/पत्नी का नाम/Name of Husband/wife.....

मृतक का मृत्यु के समय का पता/Address of deceased at the time of Death.....

मृतक का स्थाई पता/Permanent address of deceased.....

पंजीकरण संख्या/Registration No.....

टिप्पणी/Remarks (if any)

पंजीकरण दिनांक/Date of Registration.....

दिनांक/Date of Issue.....

प्राधिकारी के हस्ताक्षर/-
Signature of the Issuing Authority
प्राधिकारी का पता/Address of the Issuing Authority

मोहर/Seal.